<u>संख्या- 9/2020/326/31-2020-21/2015</u>

प्रेषक,

कुमार कमलेश,
अपर मुख्य सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,

1 अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास	6 नागरिक उड्डयन	11 नगर विकास
2 आवास एवं शहरी नियोजन	7 चिकित्सा शिक्षा	12 गृह
3 चिकित्सा एवं स्वास्थ्य	8 उच्च शिक्षा	13 आयुष
4 धमार्थ कार्य	9 पर्यटन	14 खेल विभाग,उ0प्र0 शासन।
5 नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति	10 नियोजन	

2- मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूपीडा, गोमती नगर, लखनऊ।

कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग, **लखनऊः दिनांकः 23 मार्च, 2020**

विषयः- शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता की परियोजनाओं के समयबद्ध कार्यान्वयन एवं नियमित अनुश्रवण हेतु प्रोजेक्ट मॉनीटरिंग ग्रुप के गठन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग के शासनादेश संख्या-04/2019/1658/31-2019-21/2015 दिनांकः 27 नवम्बर, 2019 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता की परियोजनाओं के समयबद्ध कार्यान्वयन एवं नियमित अनुश्रवण हेतु प्रोजेक्ट मॉनीटरिंग ग्रुप का गठन किया गया है। परियोजनाओं के अनुश्रवण हेतु प्रोजेक्ट मॉनीटरिंग ग्रुप की समूहवार बैठकें निर्धारित दिन एवं समय पर ग्रुप के अध्यक्ष की अध्यक्षता में आयोजित की जाती हैं।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त शासनादेश दिनांकः 27 नवम्बर, 2019 के साथ संलग्न परियोजनाओं के अतिरिक्त अन्य परियोजनाओं को सम्मिलित करते हुए संलग्नक में अंकित समूह, दिन एवं आवंटित समयानुसार परियोजनाओं का अनुश्रण किया जाएगा।

3- नोडल विभाग के अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव से अपेक्षा है कि कृपया संलग्नक में अंकित समूह, दिन एवं आवंटित समयानुसार प्रोजेक्ट मॉनीटरिंग ग्रुप की बैठकों में प्रतिभाग करना सुनिश्चित करेगें।

4- नोडल विभाग परियोजनाओं का गहन अनुश्रवण करते हुए परियोजना की प्रगति ग्रुप की बैठक के न्यूनतम् दो दिन पूर्व सदस्य/संयोजक को प्रत्येक दशा में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगें तथा उसकी प्रति कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग को भी उपलब्ध कराएंगे।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.nic.in

5- यदि किसी समूह की बैठक निर्धारित मंगलवार को किसी कारणवश नहीं होती है, तो उस समूह की बैठक आगामी मंगलवार को निर्धारित समूह के साथ संयुक्त रूप से होगी।

कृपया उक्त शासनादेश दिनांकः 27 नवम्बर, 2019 के शेष निर्देश यथावत् रहेगें।

संलग्नकः-यथोपरि।

भवदीय,

(कुमार कमलेश)
अपर मुख्य सचिव।

<u>संख्या- 9/2020/326(1)/31-2020-21/2015-तद्दिनांक।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. अध्यक्ष, राजस्व परिषद, उ0प्र0।
2. कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 शासन।
3. अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उ0प्र0 शासन।
4. समाज कल्याण आयुक्त, उ0प्र0 शासन।
5. अपर मुख्य सचिव, नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन।
6. अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन।
7. प्रमुख सचिव/सचिव (श्री आलोक कुमार), मा0 मुख्यमंत्री, उ0प्र0 शासन।
8. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उ0प्र0 शासन।

आज्ञा से,

(अंकित कुमार अग्रवाल)
विशेष सचिव।

<u>संख्या- 9/2020/326(2)/31-2020-21/2015-तद्दिनांक।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0।
2. प्रमुख स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
3. प्रधान निजी सचिव, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
4. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग, उ0प्र0 शासन।
5. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(अंकित कुमार अग्रवाल)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

संलग्नक

प्रोजेक्ट मानीटरिंग ग्रुप द्वारा अनुश्रवण हेतु सर्वोच्च प्राथमिकता की परियोजनाएं

समूह-1 (प्रत्येक माह के प्रथम मंगलवार)

क्र0 सं0	परियोजना का नाम	नोडल विभाग	आवंटित समय (अपरान्ह)
1	**2**	**3**	**4**
1	बुन्देलखण्ड एक्सप्रेस-वे	यूपिडा	04:00 - 04:20
2	पूर्वान्चल एक्सप्रेस-वे	यूपिडा	04:20 - 04:40
3	गोरखपुर-आजमगढ़ लिंक एक्सप्रेस-वे	यूपिडा	04:40 - 05:00
4	गंगा एक्सप्रेस-वे	यूपिडा	05:00 - 05:10
5	डिफेन्स कारिडोर	अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास	05:10 - 05:20
6	Ease Of Doing Business	अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास	05:20 - 05:40
7	जेवर इन्टरनेशनल एअरपोर्ट	नागरिक उड्डयन	05:40 - 06:00

समूह-2 (प्रत्येक माह के द्वितीय मंगलवार)

क्र0 सं0	परियोजना का नाम	नोडल विभाग	आवंटित समय (अपरान्ह)
1	**2**	**3**	**4**
1	Investor's Summit के दौरान किये गये MOU's के क्रियान्वयन की अद्यतन प्रगति	अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास	04:00 - 04:20
2	ट्रांस गंगा परियोजना का विकास	अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास	04:20 - 04:40
3	औरैया प्लास्टिक सिटी का विकास	अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास	04:40 - 05:00
4	सरस्वती हाईटेक सिटी का विकास	अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास	05:00 - 05:20
5	दिल्ली-मुम्बई इन्डस्ट्रियल कारिडोर	अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास	05:20 - 05:40
6	अमृतसर-दिल्ली-कोलकत्ता इन्डस्ट्रियल कारिडोर	अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास	05:40 - 06:00

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.nic.in

समूह-3 (प्रत्येक माह के तृतीय मंगलवार)

क्र0 सं0	परियोजना का नाम	नोडल विभाग	आवंटित समय (अपरान्ह)
1	**2**	**3**	**4**
1	स्मार्ट सिटी योजना	नगर विकास	04:00 - 04:20
2	अमृत योजना	नगर विकास	04:20 - 04:40
3	नमामि गंगे योजना	नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति	04:40 - 05:00
4	वाराणसी, मथुरा एवं अयोध्या में सांस्कृतिक पर्यटन सुविधाओं का विकास	पर्यटन	05:00 - 05:10
5	श्री काशी विश्वनाथ मन्दिर कारिडोर का विकास	धर्मार्थ कार्य	05:10 - 05:20
6	मेट्रो परियोजना (कानपुर, आगरा, मेरठ, प्रयागराज, गोरखपुर एवं बरेली)	आवास एवं शहरी नियोजन	05:20 - 05:40
7	Ease of Living	नियोजन	05:40 - 06:00

समूह-4 (प्रत्येक माह के चतुर्थ मंगलवार)

क्र0 सं0	परियोजना का नाम	नोडल विभाग	आवंटित समय (अपरान्ह)
1	**2**	**3**	**4**
1	नए मेडिकल कालेजों की स्थापना	चिकित्सा शिक्षा	04:00 - 04:20
2	प्रदेश में मेडिकल कालेजो की स्थापना (PPP माडल पर)	चिकित्सा शिक्षा	04:20 - 04:40
3	रायबरेली एवं गोरखपुर में AIIMS की स्थापना	चिकित्सा शिक्षा	04:40 - 04:50
4	चकगंजरिया लखनऊ में श्री अटल बिहारी बाजपेई चिकित्सा विश्वविद्यालय की स्थापना	चिकित्सा शिक्षा	04:50 - 05:00
5	आयुष विश्वविद्यालय की स्थापना	आयुष	05:00 - 05:10
6	आयुष्मान भारत-गोल्डेन कार्ड व वेलनेस सेन्टर के सम्बन्ध में	चिकित्सा स्वास्थ्य	05:10 - 05:20
7	पुलिस एवं फोरेन्सिक साइन्स विश्वविद्यालय की स्थापना	गृह	05:20 - 05:30
8	आजमगढ़, अलीगढ़ एवं सहारनपुर में विश्वविद्यालय की स्थापना	उच्च शिक्षा	05:30 - 05:40
9	स्पोर्ट्स विश्वविद्यालय की स्थापना	खेल	05:40 - 06:00

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।